न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 39/2023

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –

1. अशोक कुमार संकलेचा पुत्र नेमीचंद जाति जैन निवासी जूना किराडू मार्ग बाड़मेर (मैसर्स अरिहंत ऑयल प्रॉउक्टस्, आई–7 कृषि उपज मण्डी, बाडमेर का विक्रेता)
2. श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री अशोक जाति जैन निवासी जूना किराडू मार्ग बाड़मेर (मैसर्स अरिहंत ऑयल प्रॉउक्टस्, आई–7 कृषि उपज मण्डी, बाडमेर की मालकिन)
3. श्री रवी शंकर पुत्र श्री मेवालाल शुक्ला (मैसर्स गुडहैल्थ इंडस्ट्रीज प्रा.लि. गांव गुधोला जिला नूह गुरूग्राम हरियाणा का मेनेजर)
4. मैसर्स गुडहैल्थ इंडस्ट्रीज प्रा.लि. गांव गुधोला जिला नूह गुरूग्राम हरियाणा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर (राज.)

<u>परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006</u>

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री भूरचन्द जांगिड, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

आदेश

दिनांक : 26.05.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स अरिहंत ऑयल प्रॉडक्टस्, आई–7 कृषि उपज मण्डी, बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **19.10.2022** को खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड डेयरी बेस्ट (500 एमएल गत्ता पेकिंग)** मिठाई निर्माण में उपयोग में लेने हेतु भरा हुआ, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 एमएल के चार बोतल कुल 2 किलो वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1753** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड डेयरी बेस्ट (500 एमएल गत्ता पेकिंग)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड डेयरी बेस्ट (500 एमएल गत्ता पेकिंग)** का नमूना **अवमानक (Substandard) एवं मिथ्याछाप** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैम्पलिंग की गई कार्यवाही अप्रार्थी की अनुपस्थिति में की गई थी एवं अप्रार्थी को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह भी प्रकट किया कि सैम्पलिंग की कार्यवाही में बताये गये मोतबिरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। लिहाजा स्वतंत्र गवाहों के अभाव में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही अनुचित है। साथ ही सीजशुदा सैम्पल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने के संबंध

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

में लिंक साक्ष्य का भी अभाव है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **15.11.2022** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** (Substandard) एवं **मिथ्याछाप** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **Butyrorefractometer reading at 40 degree C** का मानक स्तर **40 to 44** की तुलना में **39.46** पाया गया है, **Saponification value** का मानक स्तर **205 to 235** की तुलना में **199.47** पाया गया है, **Iodine Value** का मानक स्तर **25 to 38** की तुलना में **54.95** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। इस पर अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक एवं मिथ्याछाप** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 40,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

5. आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर